



लेखे एक दृष्टि में 2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार

लेखे एक दृष्टि में

वर्ष 2017-18 के लिए

बिहार सरकार



प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के 'लेखे एक दृष्टि में', को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 अधिकृत करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के खातों के संबंध में संसद द्वारा बनाये गये ऐसे किसी कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्ति का प्रयोग करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) 1971 का अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है कि सीएजी लेखे के संधारण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों से लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए राज्य के लेखा संकलन के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य के वार्षिक लेखे, सौपी गयी दायित्व के निर्वहन में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे तैयार किए गए हैं। वित्त लेखे तीन भागों में संकलित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदानवार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारको-विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखाचित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी।

हमें आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होंगी।

०२ अगस्त
मणी के०

स्थान : पटना

दिनांक : 02 अगस्त 2019

महालेखाकार (लेखा एवं हक्क०)
बिहार, पटना

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

दृष्टिकोण :

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समस्या रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

उद्देश्य :

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हमारे बुनियादी मूल्य :

- ➡ स्वतंत्रता
- ➡ व्यवसायिक कुशलता
- ➡ उद्देश्यता
- ➡ पारदर्शिता
- ➡ सत्यनिष्ठा
- ➡ सकारात्मक दृष्टिकोण
- ➡ विश्वसनीयता



विषय सूची

अध्याय-I	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	9
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	11
1.5	लेखे की विशेषताएँ	14
1.6	घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं	15
अध्याय-II	प्राप्तियाँ	
2.1	परिचय	18
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	18
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	20
2.4	राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता	22
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	22
2.6	विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	23
2.7	सहायता अनुदान	24
2.8	लोक ऋण	24
अध्याय-III	व्यय	
3.1	परिचय	26
3.2	राजस्व व्यय	26
3.3	पूँजीगत व्यय	27
अध्याय-IV	स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय	
4.1	व्यय का संवितरण (2017-18)	29
4.2	स्कीम व्यय	29
4.3	स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय	30
4.4	वचनबद्ध व्यय	31
अध्याय-V	विनियोग लेखे	
5.1	वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे का सार	32
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	32
5.3	विशिष्ट बचतें	33

अध्याय-VI	परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ	
6.1	परिसंपत्तियाँ	36
6.2	ऋण तथा देयताएँ	36
6.3	गारंटीयाँ	37
अध्याय-VII	अन्य विषये	
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	38
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	38
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	38
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	39
7.5	लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखा का प्रस्तुतीकरण	39
7.6	निवेश	40
7.7	अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की स्थिति	40
7.8	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	41
7.9	सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र	42
7.10	व्यक्तिगत जमा खाता	43
7.11	लेखे का मिलान	44
7.12	व्यय का आधिक्य	45
7.13	उचन्त लेखा शेष	46
7.14	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर वचनबद्धता	47
7.15	भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन	47

अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय


महालेखाकार (लेखा और हकदारी), बिहार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा आंकड़े का मिलान, वर्गीकरण, संकलन कर बिहार सरकार का लेखा तैयार करता है। यह संकलन, जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रमंडलों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित मासिक लेखे के रूप में प्राप्त प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। प्रत्येक माह महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा मासिक सिविल लेखे बिहार सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष के संकलन कार्य वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार होने पर समाप्त होते हैं। ये महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन रहते हैं जिसके पश्चात ये विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित किए जाते हैं।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग-1 समेकित निधि	सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर और करेतर राजस्व सहित, ऋण की उगाही और दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) समेकित निधि में शामिल हैं। सरकार के सभी खर्चे और संवितरण, ऋण का संविरण और लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित)इस निधि से पूरित किये जाते हैं।
भाग-2 आकस्मिक निधि	आकस्मिक निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में किए गए व्यय जो विधायिका से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है को पुरा करता है। ऐसा व्यय समेकित निधि से प्रतिपूरित होता है। बिहार सरकार के लिए इस निधि का अग्रदाय ₹ 350 करोड़ है।
भाग-3 लोक लेखा	लोक लेखा में कर्जे से संबंधित (जो भाग 1 में सम्मिलित है उनके अलावे) ‘जमा’ ‘अग्रिम’ ‘प्रेषण’ और ‘उचंत’ को लेखांकित किया जाना चाहिए।

1.2.2 लेखे का संकलन



1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के प्राप्तियों और संवितरणों का राजस्व और पूँजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम, लोक ऋण तथा लोक लेखे में दर्ज शेषों के साथ लेखे में प्रदर्शित करता है। वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनाप्रक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं। खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है।



केन्द्रीय सरकार ने राज्य की क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधि सीधे जारी की है। वर्ष 2017-18 में, भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 7,953 करोड़ (₹ 2,538 करोड़ पिछले वर्ष) सीधे जारी किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती हैं, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती हैं। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है।

निम्नलिखित विवरणी वर्ष 2017-18 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ बजट का विवरण प्रदान करता है :-

	बजट अनुमान	वास्तविकी	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ००३० से वास्तविक की प्रतिशतता (*)
	(₹ करोड़ में)			
1. कर राजस्व (केन्द्रीय अंशदान सहित)	97,327	88,220	91	18
2. करेतर राजस्व	2,875	3,507	122	1
3. सहायता अनुदान और अंशदान	36,956	25,720	70	5
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,37,158	1,17,447	86	24
5. ऋणों तथा अग्रिमों की बसूली	18	22	122	0
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. उधार एवं अन्य दायित्व	18,112	14,305	79	3
8. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	18,130	14,327	79	3
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,55,288	1,31,774	85	27
10. राजस्व व्यय	1,22,603	1,02,624	84	21
11. ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	9,591	9,141	95	2
12. पूँजीगत व्यय	32,195	28,907	90	6
13. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	490	243	50	0
14. कुल व्यय (10+12+13)	1,55,288	1,31,774	85	27
15. राजस्व अधिशेष (4-10)	14,555	14,823	102	3
16. राजकोषीय बाटा (4+5-14)	18,112	14,305	79	3

(*) 2017-18 के लिए स०रा०घ००३० ₹ 4,87,628 करोड़ था।

वर्ष 2017-18 में प्राप्तियाँ और व्यय



* उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 51 अनुदान/विनियोग हैं। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2017-18 द्वारा ₹ 1,87,344 करोड़ का सकल व्यय और ₹ 0.01 लाख का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,40,947 करोड़ और व्यय में कमी ₹ 4,519 करोड़ हुआ। परिणामतः शुद्ध निवल बचत ₹ 53,370 करोड़ (27.47 प्रतिशत) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹ 4,519 करोड़ का कम आकलन किया गया। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹ 2,907 करोड़ सम्मिलित है जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹ 2,904 करोड़ से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र अप्राप्त रहने के कारण अभी तक लंबित है।

1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

1.4.2 रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) तब लिया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बरकरार रखने की सीमा जो ₹ 1.73 करोड़ है में अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी कमी आती है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिये कायम रखा।

1.4.3 निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व अधिक्य ₹ 14,823 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 14,305 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 3.04 प्रतिशत और 2.93 प्रतिशत को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 10.86 प्रतिशत है। इस घाटे को लोक ऋण (₹ 8,515 करोड़) में वृद्धि, लोक लेखे

₹ 5,722 करोड़ में वृद्धि और आदि तथा अंत शेष के निवल ₹ 68 करोड़ से पूरित किया गया। ₹ 41,213 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹ 1,17,447 करोड़) का लगभग 35 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹ 17,779 करोड़), ब्याज संदाय (₹ 9,141 करोड़) तथा पेंशन (₹ 14,293 करोड़) पर खर्च किया गया।


निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)


	विवरण	राशि
स्रोत	1 अप्रैल 2017 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष	115
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,17,447
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	22
	लोक ऋण	13,169
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	1,844
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	1,415
	जमा प्राप्तियाँ	42,984
	सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान	196
	उचंत लेखा	3,88,812
	प्रेषण	9,863
	आकस्मिकता निधि	0
जोड़		5,75,867

अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,02,624
	पूँजीगत व्यय	28,907
	प्रदत्त ऋण	243
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,654
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	1,924
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	2,111
	जमा राशि से किए गए व्यय	32,668
	प्रदत्त सिविल पेशगियाँ	198
	उचंत लेखा	3,92,626
	प्रेषण	9865
	31 मार्च 2018 को रिजर्व बैंक रोकड़ अंतशेष	47
	जोड़	5,75,867

1.4.4 रुपया जहाँ से आया



1.4.5 रुपया जहाँ गया



* मध्याहन भोजन योजना, सार्वकाल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल हैं।

1.5 वर्ष 2017-18 के वित्तीय विशेषताएँ

	बजट अनुमान 2017-18	वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता (\$)
1. राज्य का स्व-कर राजस्व	32,001	23,137	72	5
2. संघीय करों में राज्य का हिस्सा	65,326	65,083	100	13
3. करेतर राजस्व	2,875	3,507	122	1
4. सहायता अनुदान तथा अंशदान	36,956	25,720	70	5
5. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,37,158	1,17,447	86	24
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. ऋण एवं अग्रिमों की बसूली	18	22	122	0
8. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	18,112	14,305	79	3
9. पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	18,130	14,327	79	3
10. कुल प्राप्तियाँ (5+9)	1,55,298	1,31,774	85	27
11. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (*)	74,031	66,747	90	14
12. राजस्व लेखा	73,952	66,673	90	14
13. 12 के व्यय में से ब्याज अदायगी	9,591	9,141	95	2
14. पूँजीगत लेखा	69	74	107	0
15. स्कीम व्यय (*)	81,267	65,027	80	13
16. राजस्व लेखा	48,651	35,951	74	7
17. पूँजीगत लेखा	32,616	29,076	89	6
18. कुल व्यय (11+15)	1,55,298	1,31,774	85	27
19. राजस्व व्यय (12+16)	1,22,603	1,02,624	84	27
20. पूँजीगत व्यय (14+17) (#)	32,685	29,150	89	6
21. राजस्व आधिक्य (5-19) (@)	14,555	14,823	102	3
22. राजकोषीय घाटा (5+6+7-18) (@)	18,112	14,305	79	3

(\\$) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹ 4,87,628 करोड़ बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं संचिकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना से लिया गया है।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹ 28,907 करोड़), संवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹ 243 करोड़) सम्मिलित है।

(*) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹ 33 करोड़ तथा स्कीम व्यय के अंतर्गत ₹ 210 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल।

(@) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे की गणना में उदय अंतर्गत व्यय शामिल है।

घाटा और अधिक्य क्या निरूपित करता है ?

घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांतः इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांतः उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।

1.6 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बीएफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2006


राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 सह पठित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित लक्ष्य तथा 2017-18 के लेखे के अनुसार उपलब्धियाँ निम्नवत हैं :

क्रम सं०	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	2007-08 में राजस्व आधिक्य प्राप्त करना तथा तत्पश्चात् आधिक्य बनाए रखना	राज्य सरकार ने विगत सात वर्षों में राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व आधिक्य (उदय को छोड़कर) ₹ 15,014.37 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 3.08 प्रतिशत) रहा। हाला कि, यदि उदय अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है तो यह ₹ 14,823.01 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 3.04 प्रतिशत) होगा।
2	राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०)* के अनुपात को वर्ष 2011-12 में 3 प्रतिशत लाना तथा इसे 2017-18 तक बनाए रखना।	2017-18 के दौरान राजकोषीय घाटा (उदय को छोड़कर) (₹ 14,113.47 करोड़) जी०एस०डी०पी० का 2.89 प्रतिशत था। हाला कि, यदि उदय अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है तो यह (₹ 14,304.83 करोड़) जी०एस०डी०पी० का 2.93 प्रतिशत होगा।
3	वित्तीय वर्ष 2017-18 में ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) के प्रतिशत के रूप में 23.60 प्रतिशत तक लाना।	लेखे के अनुसार, 2017-18 के दौरान ऋण एवं बकाया दायित्व (₹ 1,54,444.99 करोड़) (उदय को छोड़कर), आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) का 31.67 प्रतिशत है। हाला कि, यदि उदय अंतर्गत ऋण को शामिल किया जाता है तो यह (₹ 1,56,776.77 करोड़) जी०एस०डी०पी० का 32.15 प्रतिशत होगा।
4	वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर राजस्व संग्रहण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) प्रतिशत के रूप में 15.40 प्रतिशत तक बढ़ाना।	लेखे के अनुसार, 2017-18 के दौरान कर राजस्व संग्रहण (₹ 88,219.87 करोड़) आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) का 18.09 प्रतिशत है।


*स्रोत : योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार का पत्रांक सं० रा०आ०(रा.घ.ड.)-04/2016/894/पटना दिनांक 06-08-2018। वर्ष 2017-18 में बिहार के लिए जी०एस०डी०पी० का आँकड़ा ₹ 4,87,628 करोड़ एन०टी०ए० में एफ०आर०बी०एम० लक्ष्य पूर्ति-गणना के लिए लिया गया।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अधीन नियमों की रचना अभी तक नहीं की गई है।


1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)



1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)



1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात



यह बांछनीय है कि पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से पूर्णतः वित्त पोषित हो तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹ 28,907 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹ 13,369 करोड़) और राजस्व आधिक्य (₹ 14,823 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है।

अध्याय II


प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,31,774 करोड़ थीं।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित हैं।
सहायता अनुदान	मूलतः, संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त। संघ सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता अनुदान एवं सहायता, सामग्री तथा उपस्कर सम्मिलित हैं।



राजस्व प्राप्ति के घटक (2017-18)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविकी
क. कर राजस्व	88,220
राज्य का स्व-कर राजस्व	23,137
वस्तु और सेवा कर	6,747
आय तथा व्यय पर कर	87
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	4,504
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	11,799
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	65,083
वस्तु और सेवा कर	7,497
आय तथा व्यय पर कर	36,770
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	(-)1
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	20,817
ख. करेतर राजस्व	3,507
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	1,579
सामान्य सेवायें	474
सामाजिक सेवायें	124
आर्थिक सेवायें	1,330
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	25,720
कुल - राजस्व प्राप्तियाँ	1,17,447

2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17
कर राजस्व	54,790 (17)	57,713 (17)	74,372 (20)	82,623 (19)	88,220 (18)
करेतर राजस्व	1,545 (0.49)	1,558 (0.45)	2,186 (0.59)	2,403 (0.56)	3,507 (0.72)
सहायता अनुदान	12,584 (4)	19,146 (6)	19,565 (5)	20,559 (5)	25,720 (5)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	68,919 (22)	78,417 (23)	96,123 (26)	1,05,585 (25)	1,17,447 (24)
संग्रहण	3,17,101	3,42,951	3,69,469	4,25,888	4,87,628


नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

यद्यपि वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में कर राजस्व में 7 प्रतिशत तथा करेतर राजस्व में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुई :

- ‘ब्याज प्राप्तियाँ’ (₹ 1,577 करोड़),
- ‘अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग’ (₹ 1,082 करोड़),
- ‘पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियाँ’ (₹ 203 करोड़) तथा
- ‘लोक सेवा आयोग’ (₹ 130 करोड़)।

इसके अलावा वर्ष 2017-18 में ‘शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति’ तथा ‘चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य’ के तहत संग्रहण क्रमशः ₹ 21 करोड़ तथा ₹ 55 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2016-17 में इनके विरुद्ध संग्रहण क्रमशः ₹ 17 करोड़ तथा ₹ 40 करोड़ था। राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत ‘स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क’ (₹ 3,726 करोड़) और ‘वाहन कर’ (₹ 1,600 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया।

राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत घटकों की प्रवृत्ति




खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वस्तु और सेवा कर	0	0	0	0	14,244
आय तथा व्यय पर कर	19,474	22,180	26,085	32,097	36,857
संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	2,946	3,011	4,108	3,996	4,503
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	32,370	32,522	44,179	46,530	32,616
कुल- कर राजस्व	54,790	57,713	74,372	82,623	88,220

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः ‘वस्तु और सेवा कर’ (₹ 14,244 करोड़), ‘निगम कर’ (₹ 19,936 करोड़), ‘आय पर निगम कर से भिन्न कर’ (₹ 16,834 करोड़), तथा ‘वाहन कर’ (₹ 1,600 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।

प्रमुख करों का स०गा०घ०उ० से अनुपातिक रूझान



2.4 राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश	राज्य का स्व-कर राजस्व	
			राशि	स०रा०ष०उ० की प्रतिशतता
2013 - 14	54,790	34,829	19,961	6.29%
2014 - 15	57,713	36,963	20,750	6.05%
2015 - 16	74,372	48,923	25,449	6.89%
2016 - 17	82,623	55,881	23,742	5.57%
2017 - 18	88,220	65,083	23,137	4.74%

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्व-कर राजस्व का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित लक्ष्य 6.40 प्रतिशत से कम है। जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष “संघीय करों का राज्यांश” 2013-14 के 10.98 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 13.35 प्रतिशत हो गया है, उसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष “राज्य के स्व-कर राजस्व” 5.57 प्रतिशत से घटकर 4.74 प्रतिशत रह गया है।

2.4.1 विगत पाँच वर्षों में राज्य के स्व-कर संग्रहण की प्रवृत्ति

कर	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री और व्यापार आदि पर कर	8,453	8,607	10,603	11,873	8,298
राज्य वस्तु और सेवा कर	0	0	0	0	6,747
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2,712	2,699	3,409	2,982	3,726
माल तथा यात्री कर	4,349	4,451	6,087	6,246	1,645
वाहन कर	837	964	1,081	1,257	1,599
भू राजस्व	202	277	695	971	778
आय तथा व्यय पर अन्य कर	48	55	65	79	87
राज्य उत्पाद शुल्क	3,168	3,217	3,142	29	(-)3
अन्य	192	480	367	305	260
राज्य का कुल स्व-कर	19,961	20,750	25,449	23,742	23,137

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. वस्तु और सेवा कर

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व संग्रहण	0	0	0	0	14,244
संग्रहण पर व्यय	0	0	0	0	72
कर संग्रहण की दक्षता	0	0	0	0	0.5%

ख. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व संग्रहण	2,946	3,011	4,108	3,996	4,503
संग्रहण पर व्यय	526	511	486	477	564
कर संग्रहण की दक्षता	18%	17%	12%	12%	13%

ग. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व संग्रहण	32,370	32,522	44,179	46,530	32,615
संग्रहण पर व्यय	146	185	180	256	289
कर संग्रहण की दक्षता	0.45%	0.57%	0.41%	0.55%	0.89%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है।


2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वस्तु और सेवा कर	0	0	0	0	7,497
निगम कर	11,713	12,908	15,378	18,889	19,936
निगम कर से भिन्न आय पर कर	7,713	9,217	10,643	13,128	16,834
संपत्ति कर	32	35	4	43	(-1)
सीमा शुल्क	5,683	5,978	7,850	8,126	6,570
संघ उत्पाद शुल्क	4,014	3,376	6,577	9,279	6,868
सेवा कर	5,674	5,449	8,430	9,416	7,379
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	--	--	--	--	--
संघीय करों का राज्यांश	34,829	36,963	48,923	58,881	65,083
कुल राजस्व कर	54,790	57,713	74,372	82,623	88,220
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	64	64	66	71	74
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष संघीय करों का प्रतिशत	11	11	13	14	13

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, वित्त आयोग अनुदान तथा राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹ 25,720 करोड़ थी, जो निम्नवत है :-



सहायता अनुदान वर्ष 2016-17 के तुलना में 2017-18 में बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदान के बजट अनुमान ₹ 36,956 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹ 25,720 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 70 प्रतिशत)।

2.8 लोक ऋण

लोक ऋण में आंतरिक ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित होते हैं। आंतरिक ऋण में, बाजार कर्ज, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, वित्तीय संस्थानों से कर्ज तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि को जारी विशेष बंध पत्र सम्मिलित होते हैं।


विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	(₹ करोड़ में)
आंतरिक ऋण	6,799	10,224	14,142	16,604	7,930	
केन्द्रीय कर्ज	(-11)	85	116	758	586	
कुल लोक ऋण	6,788	10,309	14,258	17,362	8,516	

नोट - ऋणात्मक आँकड़े प्राप्तियों से अधिक भुगतान किए जाने को दर्शाते हैं।

वर्ष 2017-18 में, कुल ₹ 10,000 करोड़ के छः ऋण जो वर्ष 2028-29 में विमुक्त योग्य होंगे, को ब्याज दर 7.74 प्रतिशत से 8.36 प्रतिशत के बीच के सममूल्य पर लिए गये।

2017-18 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹ 11,771 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹ 1,399 करोड़ के जोड़ के विरुद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹ 28,907 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।



अध्याय III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के वर्तमान उपभोग तथा विभागीय गैर-पूँजीगत गतिविधियों के स्थापना व्यय से है। पूँजीगत व्यय भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की नई परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लक्ष्य से किया गया व्यय है। इसमें निवेश भी शामिल होता है जिससे वर्ष के बाद निवेश पर लाभ प्राप्त होता है।

सामान्य सेवायें	सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवायें	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व व्यय ₹ 1,02,624 करोड़ बजट अनुमान से ₹ 19,979 करोड़ कम था। वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का 27 प्रतिशत था। स्कीम व्यय के अन्तर्गत ₹ 12,700 करोड़ तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत ₹ 7,279 करोड़ का कम खर्च हुआ। विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के विरुद्ध व्यय में कमी निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बजट अनुमान	73,258	91,765	91,209	1,09,941	1,22,603
वास्तविकी व्यय	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
अन्तर	10,781	19,195	7,593	15,176	19,979
बजट अनुमान से अंतर का प्रतिशत	15	21	8	16	16


राज्य उपलब्ध संसाधनों के बाद भी बजट का व्यय नहीं कर सका। बजटीय व्यय से वास्तविक व्यय के मध्य प्रतिशत अंतर 16 था जो विकास हेतु व्यय की गति बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2017-18)

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
क. सामान्य सेवायें	33,374	32
ख. सामाजिक सेवायें	45,770	45
ग. आर्थिक सेवायें	23,476	23
घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान	4	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	1,02,624	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2013-17)

(₹ करोड़ में)



* सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष-2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष-2049 (व्याज अदायगिताँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष-3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

3.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2017-18 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹ 29,150 करोड़ था जो स०रा०घ०३० का 6 प्रतिशत था। यह बजट अनुमान से ₹ 3,535 करोड़ कम था।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 1,378 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹ 1,248 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 130 करोड़), बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर ₹ 1,288 करोड़ और ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹ 6,931 करोड़ व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹ 7,121 करोड़ निवेश किया गया।


क्रम सं०	क्षेत्र	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत्ता
1.	सामान्य सेवायें-पुलिस, भू-राजस्व आदि।	2,765	9
2.	सामाजिक सेवायें-शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि।	4,258	15
3.	आर्थिक सेवायें - कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि।	21,884	75
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	243	1
	कुल	29,150	100

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सामान्य सेवायें	1,332	1,749	3,617	2,090	2,765
2.	सामाजिक सेवायें	1,858	1,673	2,740	3,592	4,258
3.	आर्थिक सेवायें	10,811	14,728	17,609	21,526	21,884
4.	ऋण तथा अग्रिम	807	369	621	114	243
	कुल	14,808	18,519	24,587	27,322	29,150

पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार रूझान




अध्याय IV

स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय


4.1 व्यय का संवितरण (2017-18)

	वास्तविक व्यय
स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	65,027
स्थापना और प्रतिबद्ध यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	66,747



4.2 स्कीम व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹ 65,027 करोड़ था जो कुल व्यय ₹ 1,31,774 करोड़ का 49 प्रतिशत था। इसमें राज्य स्कीम के अन्तर्गत ₹ 32,468 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत ₹ 31,464 करोड़, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत ₹ 885 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अन्तर्गत ₹ 210 करोड़ सम्मिलित हैं।




4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत स्कीम व्यय


	(₹ करोड़ में)				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल पूँजीगत व्यय	14,808	18,519	24,587	27,322	29,150
पूँजीगत व्यय (आयोजना)	14,602	18,428	24,082	27,264	29,076
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	99	99	98	99	99

4.3 स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय ₹ 66,747 करोड़ था, कुल व्यय ₹ 1,31,774 करोड़ का 51 प्रतिशत था। इसमें राजस्व के अंतर्गत ₹ 66,673 करोड़, पूँजी के अंतर्गत ₹ 41 करोड़ तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 33करोड़ सम्मिलित हैं।



4.4 वचनबद्ध व्यय



घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वचनबद्ध व्यय	28,978	32,081	33,872	36,483	41,220
राजस्व व्यय	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	42	41	35	35	35
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	46	46	40	38	40

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	1,12,121	19,881	24,424	1,32,002	96,720	(-)35,282
	प्रभारित	10,482	43	59	10,525	10,030	(-)495
2.	पूँजीगत						
	दत्तमत	32,196	7,156	9,965	39,352	29,301	(-)10,051
	प्रभारित	--	--	--	--	--	--
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	4,797	0	3	4,797	4,654	(-)143
4.	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	490	178	320	668	243	(-)425
	कुल -	1,60,086	27,258	34,771	1,87,344	1,40,948	(-)46,396

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2013-14	(-)20,781	(-)8,223	(-)135	(-)2,341	(-)31,480
2014-15	(-)31,354	(-)10,558	(+)3	(-)2,017	(-)43,926
2015-16	(-)27,491	(-)7,014	(-)38	(-)470	(-)35,013
2016-17	(-)30,563	(-)10,194	(-)52	(-)542	(-)41,351
2017-18	(-)35,777	(-)10,051	(-)143	(-)425	(-)46,396

5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत है :-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

अनुदान	नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	कृषि विभाग	45%	44%	54%	43%	44%
3	भवन निर्माण विभाग	36%	54%	40%	49%	49%
4	मंत्रीमंडल सचिवालय	37%	26%	28%	21%	40%
17	वाणिज्य कर विभाग	45%	29%	31%	25%	45%
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	93%	44%	41%	51%	50%
24	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	13%	44%	35%	35%	36%
29	खान एवं भूतत्व विभाग	21%	29%	37%	35%	36%
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	62%	6%	9%	12%	49%
35	योजना एवं विकास विभाग	72%	51%	1%	44%	57%
37	ग्रामीण कार्य विभाग	19%	25%	16%	5%	31%
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	34%	30%	31%	29%	38%
39	आपदा प्रबंधन विभाग	31%	59%	86%	67%	34%
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	42%	32%	33%	46%	37%
42	ग्रामीण विकास विभाग	13%	54%	52%	44%	50%
45	गन्ना उद्योग विभाग	18%	80%	29%	33%	58%
48	शहरी विकास और आवास विभाग	32%	46%	37%	27%	36%
50	लघु जल संसाधन विभाग	59%	55%	47%	42%	39%

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल ₹ 16,320 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 12 प्रतिशत) जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरुद्ध ही विशिष्ट बचतें हुईं तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि विभाग	राजस्व	2,615	191	1,655
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	602	15	514
		पूँजी	3,406	1,032	2,089
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	398	27	242
7	निगरानी विभाग	राजस्व	36	1	33
9	सहकारिता विभाग	पूँजी	185	72	139
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1,491	2	1,207
12	वित्त विभाग	राजस्व	962	38	842
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	8,694	454	8,541
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	1,642	778	1,211
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	317	20	259
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	6,183	963	5,717
		पूँजी	819	352	552
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	24,319	7,126	23,742
22	गृह विभाग	राजस्व	7,234	134	6,501
23	उद्योग विभाग	राजस्व	733	89	672
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	169	151	121
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	414	42	353
27	विधि विभाग	राजस्व	697	118	610
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	166	12	151

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	26	18	21
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	290	8	89
		पूँजी	305	48	241
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	525	32	390
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	1,386	5	361
		पूँजी	1,455	10	878
37	ग्रामीण कार्य विभाग	पूँजी	8,332	1,367	6,396
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	153	67	137
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	834	34	561
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	1,130	200	854
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	9,664	705	5,203
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1,298	109	1,016
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	119	102	92
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	4,335	713	3,236
49	जल संसाधन विभाग	पूँजी	2,794	1,160	2,549
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	303	98	300
51	समाज कल्याण विभाग	पूँजी	160	19	16

अध्याय VI

परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वित्त लेखे सरकार की परिसम्पत्तियों, जैसे-भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

2017-18 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 23,037 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 1.34 करोड़ (अर्थात् 0.01 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश में ₹ 7,121 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹ 2.39 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹ 13,117 करोड़ था तथा जो मार्च 2018 के अंत में बढ़कर कर ₹ 17,443 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)


वर्ष	लोक ऋण	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता	लोक लेखे (*)	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता	कुल देयताएँ	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता
2013-14	64,262	20	22,677	7	86,939	27
2014-15	74,571	22	24,485	7	99,056	29
2015-16	88,829	24	27,749	8	1,16,578	32
2016-17	1,06,191	25	32,531	8	1,38,722	33
2017-18	1,14,707	23	42,070	9	1,56,777	32

(*) उचन्त तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं।

वर्ष 2016-17 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹ 18,055 करोड़ (13 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

सरकार की देयताओं का रुझान



(*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदिष्ट निधियाँ इत्यादि।

6.3 गारंटीयाँ

सार्विधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटीयों की स्थिति निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2013-14	2,587	1,090	112
2014-15	5,315	2,001	148
2015-16	9,397	6,309	229
2016-17	13,053	4,460	178
2017-18	20,234	5,174	97



अध्याय VII

अन्य विषये

7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2018 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 1,04,525 करोड़ शेष है।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2017-18 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 21,191 करोड़ के कुल ऋण तथा अग्रिम में से ₹ 20,344 करोड़ सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2018 के अंत तक मूलधन ₹ 7,094 करोड़ एवं ब्याज ₹ 7,823 करोड़ बकाए के रूप में वसूली योग्य थे। वर्ष 2017-18 के दौरान मात्र ₹ 22 करोड़ कर्ज तथा उधार के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹ 18 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2013-14 में ₹ 18,935 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 43,359 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 21 प्रतिशत (₹ 8,893 करोड़) जिला परिषदों, नगरपालिकाओं/नगर निगमों/परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका/ परिषद	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य*	कुल
2013-14	905	540	2,602	14,888	18,935
2014-15	1,173	659	1,253	19,274	22,359
2015-16	1,174	1,311	2,004	21,937	26,426
2016-17	725	1,700	1,934	31,850	36,209
2017-18	2,612	1,320	4,961	34,466	43,359

*मध्याह्न भोजन योजना, साईंकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2017 को	1 अप्रैल 2018 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	115	47	(-)68
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार विपत्र)	13,002	17,396	4,394
अन्य रोकड़ शेष	186	186	0
(क) विभागीय शेष	342	342	0
(ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय			
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	3,418	4,111	693
(क) निपेक्ष निधि	3,418	4,111	693
(ख) गारंटी उनमोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियाँ	--	--	--
* प्राप्त ब्याज	804	800	(-)4

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2017-18 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष धनात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 0.50 प्रतिशत की कमी हुई।


7.5 लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार के लेखे जिन्हें महालेखाकार के कार्यालय में संकलित किया जाता है, मुख्यतः कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों द्वारा समर्पित आरंभिक लेखे पर आधारित होता है। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि कोषागारों के लिए अगामी माह के 5वीं तारीख तथा लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों के लिए 10वीं तारीख है। ससमय लेखे के प्रस्तुत नहीं होने के कारण राज्य सरकार को भेजे गए मासिक लेखे में उस कोषागार को शामिल नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, लेखे के आँकड़े माह के वास्तविक व्यय अथवा प्राप्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिससे निर्णय गलत हो सकता है, यदि निर्णय अपूर्ण लेखे के आधार पर लिया गया हो।

वर्ष के दौरान मासिक लेखों में अपवाद को छोड़कर वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया।


7.6 निवेश

राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त उपक्रम कम्पनियों तथा सहकारिता संस्थानों में निवेश करती है। लेखे के अनुसार, सरकार ने 2017-18 के अंत तक ₹ 23,079.29 करोड़ निवेशित किया है।



7.7 अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की स्थिति

बिहार कोषागार संहिता के नियम 177 के अनुसार, कोषागार से किसी प्रकार की राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह तत्काल भुगतान के लिए अपेक्षित न हो। यदि विशेष परिस्थिति में धन की अग्रिम निकासी की जाती है, तो इस प्रकार से निकासी की गई राशि के अव्ययित शेष को आगामी विपत्र में कम निकासी करके चालान के माध्यम से, और प्रत्येक मामले में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले, जिसमें उस राशि की निकासी की गई है, कोषागार को वापस लौटा देना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इन अनुदेशों के आलोक में ₹ 145.24 करोड़, जिसे कोषागार को वापस किया जाना चाहिए था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लंबित थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 16.01 करोड़, कार्य प्रमण्डलों में अग्रदाय के रूप में पड़े थे।




7.8 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अदृष्टिगत व्यय को पूरा करने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से सेवा मुख्य शीर्षों के नामे करते हुए (अंतिम व्यय हेतु दर्ज) राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत होते हैं। इसके विरुद्ध उन्हें अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों सहित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्रों को, आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के अंदर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुत करने में विलम्ब अथवा लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाना, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के अधीन हुए व्यय के अपारदर्शिता को प्रस्तुत करता है। दिनांक 31 मार्च 2018 को लंबित आकस्मिक विपत्रों की विवरणी नीचे दी गई है :-

वर्ष	लंबित डी०सी० विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16 तक	12,689	2,348.48
2016-17	1,017	910.59
2017-18	1,508*	2,903.61
जोड़	15,214	6,162.68

* 1,508 आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 884.31 करोड़ की राशि के 522 आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2018 के बाद देय होंगे।

लंबित आकस्मिक विपत्रों का मुख्य भाग संबंधित है :-



2017-18 में ₹ 2,906.91 करोड़ राशि के 1,540 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए थे जिसमें से केवल मार्च 2018 में ₹ 867.31 करोड़ (2017-18 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से आहरित

कुल राशि का 29.84 प्रतिशत) की राशि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से आहरित किये गये थे और इसमें से ₹ 73.01 करोड़ के 43 आकस्मिक विपत्रों की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान 1,540 आकस्मिक विपत्रों में से, ₹ 922.58 करोड़ (2017-18 में कुल आहरित किये गये आकस्मिक विपत्र का 31.74 प्रतिशत) के 260 आकस्मिक विपत्र विभिन्न पूंजी शीर्षों के अंतर्गत आहरित किये गये। मार्च माह में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यतः बजट प्रावधानों को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

7.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वित्त विभाग के संकल्प सं०-एम००४-१५/२००९-९७३६/एफ०(२) दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा यथा संशोधित बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के अनुसार, स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे एवं इसे अनुदान की निकासी के 18 माह के अन्दर महालेखाकार को भेजेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत किए गए सहायता अनुदान की विवरणी वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट III में दर्शायी गई है।


31 मार्च 2018 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष (*)	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षित संख्या	राशि
2015-16 तक	1,763	15,061.31
2016-17	376	6,851.79
2017-18	316	14,680.40
जोड़	2,455	36,593.50

(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष “लंबित वर्ष” से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात)

31 मार्च 2018 को ₹ 36,593.50 करोड़ राशि के 2,455 यू०सी० लंबित थे। प्रमुख चूककर्ता विभाग जिन्हौने यू०सी० समर्पित नहीं किया है:



निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए अनुदान की निर्धारित अवधि के अंदर उपयोगिता और अविश्वास को दर्शाता है।

7.10 व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाता

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 344 सह पठित वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या एम० 4-12/2013 (भाग-I) - 6487/एफ० दिनांक 21/07/2014 व्यवस्था करता है कि जमा करने वाले प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (वह वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई है) के बाद अव्ययित राशि व्यय नहीं की जानी चाहिए तथा शेष को संचित निधि में व्यय में कमी के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष को स्थानान्तरित कर देना चाहिए।

वर्ष 2017-18 के दौरान 75 कोषागारों द्वारा पी०डी० खातों के संबंध में सूचना दी गई है, जिनमें से 56 कोषागारों में ही पी०डी० लेखा का संधारण किया जाता है एवं शेष 19 कोषागारों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कोई भी पी०डी० खाता नहीं है। 9 कोषागारों में 9 पी०डी० खातों में ₹ 65.77 करोड़ राशि पाँच लगातार वित्तीय वर्षों तक अव्ययित पड़ी हुई है। किसी भी विभागीय अधिकारी के द्वारा महालेखाकार द्वारा संधारित किए गए लेखों के शेषों का सत्यापन अथवा मिलान नहीं किया गया। 174 पी०डी० लेखों में से 94 अपरिचालित हैं जिनमें ₹ 27.73 करोड़ शेष है। किसी भी कोषागार पदाधिकारी ने पी०डी० खाते में पाँच लगातार वित्तीय वर्षों तक अव्ययित राशि के संचित निधि में संबंधित सेवा शीर्ष अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में वापसी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

56 राज्य कोषागारों से प्राप्त व्यक्तिगत जमा खाते की विवरणी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

विवरणी	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1 अप्रैल 2017 को	177	4,464.82
वर्ष के दौरान खोले गए	0	0.00
वर्ष के दौरान बन्द किए गए	03	0.00
कुल	174	4,464.82
वर्ष के दौरान प्राप्ति	55	2,762.21
वर्ष के दौरान भुगतान	59	1,338.58
31 मार्च 2018 को	174	5,888.45

7.11 लेखे का मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा ससमय विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। यह कार्य विभागों के संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल व्यय ₹ 1,31,531 करोड़ (राजस्व एवं पूँजी) के विरुद्ध मात्र ₹ 12,537 करोड़ अर्थात् कुल व्यय के 10 प्रतिशत तथा कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,17,447 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,03,619 करोड़ अर्थात् कुल प्राप्ति के 88 प्रतिशत का ही मिलान किया गया।

मुख्य चूककर्ता विभाग हैं:-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (0029, 2029)	निबंध, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (0039, 2039)	वाणिज्यकर विभाग (0040, 2040)	परिवहन विभाग (0040, 2040)
गृह (आरक्षी) विभाग (0041, 2041)	भवन निर्माण विभाग (0055, 2055)	वित्त विभाग (2071)	शिक्षा विभाग (0202, 2202)
स्वास्थ्य विभाग (0210, 2210)	ग्रामीण कार्य विभाग (0215, 2215)	नगर विकास एवं आवास विभाग (0216, 2216)	समाज कल्याण विभाग (0235, 2235)
कृषि विभाग (0401, 2401)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (0405, 2405)	पर्यावरण एवं वन विभाग (0406, 2406)	पंचायती राज विभाग (0515, 2515)
जल संसाधन विभाग (0700, 2700)	लघु जल संसाधन विभाग (0702, 2702)	पथ निर्माण विभाग (1054, 3054)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (1456, 3456)

7.12 व्यय का आधिक्य


बिहार बजट मैनुअल नियम 113 निर्दिष्ट करता है कि व्यय का अत्यधिक प्रवाह, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा एवं इससे बचना चाहिए। फिर भी यह देखा गया कि 18 विभागों ने मार्च 2018 में, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय के पचास प्रतिशत से अधिक व्यय किया :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	जोड़	मार्च 2018 के दौरान	2017-18 के कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2018 में व्यय की प्रतिशतता
03	भवन निर्माण विभाग	130.61	297.11	348.63	1,826.11	2,602.46	1,490.67	57.28
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	31.07	16.17	12.56	209.45	269.25	173.98	64.62
05	राज्यपाल सचिवालय	3.02	0.00	0.00	11.12	14.14	11.12	78.64
07	निगरानी विभाग	8.02	0.00	0.00	24.56	32.58	24.56	75.38
09	सहकारिता विभाग	26.05	40.06	278.19	598.73	943.03	520.80	55.23
10	ऊर्जा विभाग	1,619.57	738.00	984.00	8,188.73	11,530.30	7,696.73	66.75
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	(-)9.60	9.28	15.54	1,209.84	1,225.06	1,153.30	94.14
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	12.29	17.30	13.35	1,169.55	1,212.49	1,160.02	95.67
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	4.99	3.60	3.57	120.08	132.24	113.90	86.13
25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.53	82.27	14.57	103.55	200.92	101.97	50.75
28	उच्च न्यायालय बिहार	35.79	0.00	0.00	114.91	150.70	114.73	76.13
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	66.22	8.58	36.77	218.38	329.95	211.85	64.21
31	संसदीय कार्य विभाग	0.51	0.00	0.00	1.39	1.90	1.39	73.16
32	विधानमंडल	34.70	0.00	0.00	119.55	154.25	119.55	77.50
34	बिहार लोक सेवा आयोग	4.35	0.00	0.00	16.68	21.03	16.68	79.32
42	ग्रामीण विकास विभाग	404.62	70.76	50.84	4,688.90	5,215.12	4,637.15	88.92
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	18.13	37.11	29.61	931.39	1,016.24	891.15	87.69
46	पर्यटन विभाग	2.35	0.46	30.49	111.74	145.04	109.51	75.50

7.13 उच्चत लेखे शेष

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उच्चत लेखे खातें में शेष 2013-14 के ₹ 1,785 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 4,379 करोड़ हो गया ।



पिछले पाँच वर्षों के उचंत खातें के अंतर्गत शेष का विवरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

उच्चत लेखे	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चत	235.47	245.63	270.29	296.05	335.27
उच्चत लेखा (सिविल)	1,520.53	3,141.06	3,690.31	4,376.04	3,749.28
नकद परिनिर्धारण उच्चत लेखा	32.29	32.29	32.29	32.29	32.29
रिजर्व बैंक उच्चत (मुख्यालय)	270.81	263.83	266.28	265.26	261.88
रिजर्व बैंक उच्चत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	330.53	340.66	347.52	370.41	382.10
विभागीय समायोजन लेखा	104.45	104.45	104.45	104.45	104.41
स्रोत पर कर कटौती (टी०डी०एस०) उच्चत	702.41	629.29	640.99	480.28	481.00
सामग्री क्रय परिनिर्धारण उच्चत लेखा	66.11	66.11	66.11	66.11	66.11

7.14 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर वचनबद्धता

वित्त लेखे खण्ड II के परिशिष्ट IX के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अर्पूण परियोजनाओं पर मूल अनुमानित खर्च ₹ 4,295 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 1,093 करोड़ व्यय किया गया ।

‘अपूर्ण पूँजीगत कार्यों’ पर वचनबद्धता का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य विभाग का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षण के पश्चात अनुमानित लागत
1	जल संसाधन विभाग	519.40	51.61	51.61	66.52	-
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	586.49	113.43	345.20	85.58	-
3	भवन निर्माण विभाग	1,141.44	213.98	345.11	145.31	-
4	राष्ट्रीय उच्च पथ	46.54	9.57	34.58	7.08	-
5	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	45.38	5.89	5.89	4.73	-
6	पथ निर्माण विभाग	1,926.94	13.03	296.79	106.04	-
7	ग्रामीण कार्य विभाग	29.04	13.08	13.54	12.52	-
जोड़		4,295.23	420.59	1,092.72	427.78	-

7.15 भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने गारंटीयों, सहायता-अनुदान, और ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित 3 आई०जी०ए०एस० 2010-11 से 2012-13 के दौरान अधिसूचित किये हैं । राज्य सरकारों को इसका अनुपालन करना है परंतु अभी तक राज्य सरकार द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी जा रही है, लेखांकन मानकों में उल्लेखित प्रकटीकरण के संदर्भ में अर्पूण है ।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2018
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in